मध्य प्रदेश शासन

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांकएफ 03-08/2019/सात-6 भोपाल, दिनांक 18 फरवरी, 2019

प्रति

समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश।

विषय:- "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना"का क्रियान्वयन।

विषयान्तर्गत भारत सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों की आय संवर्धन (augment) के उद्देश्य से "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना" प्रारम्भ की गयी है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के उद्देश्य से दिनांक 01/12/2018 से प्रभावी होगी। इस योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। भारत सरकार द्वारा जारी योजना की operational guidelines परिशिष्ट -१ पर हैं। राज्य स्तर पर तैयार किया गया operational guidelines का हिंदी अनुवाद परिशिष्ट-२ पर है।राज्य सरकार द्वारा योजना में निर्धारित पात्रता अनुसार हितग्राही परिवारों को चिन्हित कर, हितग्राही सूची PM-KISAN पोर्टल पर अपलोड की जाना है जिसके आधार पर भारत सरकार द्वारा पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में राशि सीधे हस्तांतरित की जायेगी |

२. योजना में पात्रता:-PM- KISAN योजना के मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं:-

(i) दिनांक १.२.२०१९ की स्थिति में राज्य द्वारा संधारित भू-अभिलखों अनुसार कुल 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि धारित करने वाले कृषक परिवारों को प्रत्येक चार महीनों में तीन बराबर किश्तों में प्रति परिवार वार्षिक रूप से ₹ 6,000 का लाभ दिया जाना है। १.१२.२०१८ से १.२.२०१९ के मध्य भूमि का हक़ किसी भी वैधानिक प्रकार से अर्जित करने वाले पात्र परिवारों को यथानुपात अवधि के लिए भुगतान किया जाना है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अंतर्गत वन भूमि के पट्टा धारक परिवार (०१.०२.२०१९ के पूर्व के पट्टाधारी) को भी PM- KISAN योजना के तहत, पात्र होने पर योजनांतर्गत लाभ दिया जाना है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पात्र लाभार्थियों को पहली किस्त ₹ २००० का भुगतान 01.12.2018 से 31.03.2019 की अवधि के लिए किया जाना है। योजना में परिवार के भू-धारक मुखिया (परिवार के कोई भी वयस्क सदस्य न होने पर परिवार के अवयस्क सदस्य के बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा) को भुगतान किया जाना है।

(iii) पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है।

(iv) कृषक परिवार द्वारा राज्य के विभिन्न ग्रामों में धारित कृषि योग्य भूमि को सम्मिलित कर २ हेक्टेयर की सीमा की गणना की जाना है।

(v) ऑपरेशनल गाइडलाइन्स (operational guidelines) की कंडिका २.४ में वर्णित उच्च आर्थिक स्थिति श्रेणी के भूमि-स्वामी को योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं माना जाना है। अपात्रता की श्रेणी में संस्थागत भूमि धारक शामिल हैं। इसके लिए कृषक परिवार का स्वसत्यापित प्रमाण-पत्र पर्याप्त होगा कि वह अपात्रता हेतु वर्णित श्रेणियों में से नहीं है।

(vi) अंतिम की गयी हितग्राही सूची में, आगामी पांच वर्षों के लिए मृत्यु के आधार पर वारिसाना हक़ में प्राप्त भूमि के अलावा कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

(vii) योजना अंतर्गत पहली किश्त के ₹ २००० के हस्तांतरण के लिये (01.12.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिये) राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से पात्र लाभार्थियों की सूची को PM-KISAN पोर्टल पर अपलोड किये जाने की तिथि 25 फरवरी, 2019 नियत की गई है।

३. योजना का क्रियान्वयन:- योजना अंतर्गत जिला स्तर पर हितग्राही परिवारों के चिन्हांकन एवं सूचियां तैयार किया जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाहियां की जाना हैं :-

(i) योजना अंतर्गत प्रथम हितग्राही सूचियां मार्च,२०१९ के प्रथम सप्ताह मे अपलोड किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलेक्टरों द्वारा प्रत्येक पटवारी हल्के में ऐसे दो ग्रामों का चयन किया जायेगा जिनमे प्राथमिक जानकारी के अनुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों की संख्या अधिक हो। इन दो ग्रामों में हितग्राही सूची तैयार करने का कार्य २५/२/२०१९ से प्रारम्भ किया जाये।

शेष ग्रामों में योजना अंतर्गत हितग्राही पहचान का कार्य मार्च, २०१९ के प्रथम सप्ताह के पश्चात प्रारम्भ किया जाये। परिवार वार हितग्राही सूची तैयार किये जाने के लिए कृषक परिवार के सदस्यों का भू-अभिलेखों में इंद्राज अनुसार नाम, जीवित है अथवा नहीं, परिवार द्वारा धारित भूमि का रकबा (हेक्टेयर में), आयु, SC/ST/OBC वर्ग, परिवार के भू-धारक मुखिया (परिवार में कोई भी वयस्क सदस्य न होने पर परिवार के अवयस्क सदस्य का बैंक अकाउंट नम्बर तथा बैंक IFSC लिया जाना होगा) का बैंक अकाउंट नंबर एवं बैंक का IFSC, लिंग की जानकारी, समग्र आई.डी., आधार नंबर (अगर उपलब्ध है), मोबाइल नंबर (अगर उपलब्ध है) लिया जाना है।

(ii) पटवारियों को गिरदावरी पोर्टल पर, उनके लॉगिन पर, १.२.२०१९ की स्थिति में उनके क्षेत्राधिकार के ग्रामों के लिए हितग्राही सूची तैयार किये जाने हेतु भू-अभिलेख, कंडिका ३ (i) में वर्णित आवश्यक फ़ील्ड्स जो राज्य स्तर पर उपलब्ध हैं तथा समग्र डेटाबेस की आवश्यक फ़ील्ड्स डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर यूटिलिटी (जिसे आगे यूटिलिटी कहा गया है) के रूप में दिनांक २२.२.२०१९ तक उपलब्ध कराई जायेगी। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर यूटिलिटी को किसी भी कंप्यूटर पर install कर यूटिलिटी पर कार्य किया जा सकेगा।

(iii) पटवारियों को उपलब्ध कराई गयी डेस्कटॉप यूटिलिटी पर कार्य करते हुए, प्रत्येक खाते में दर्ज सभी सहखातेदारों (Web GIS के जिलों में परिमार्जित खसरों के लिए के पृथक -पृथक नाम एवं खाते में हिस्सा पूर्व से उपलब्ध होगें) की उपलब्ध जानकारी के आधार पर यूटिलिटी में उनका पृथक -पृथक नाम एवं खाते में पृथक -पृथक हिस्सा दर्ज़ किया जायेगा। इस कार्य के लिए पटवारी द्वारा कंडिका ३ (ii) अनुसार उपलब्ध कराई गयी जानकारी का प्रिंट आउट लिया जा सकेगा।

(iv) समग्र डेटाबेस के प्रिंट आउट में से समग्र id (समग्र id उपलब्ध ना होने पर रिक्त रखा जाना होगा) डाले जाने पर, यूटिलिटी में समग्र डेटाबेस से कंडिका ३ (i) में वर्णित अन्य आवश्यक फ़ील्ड्स की जानकारी स्वयं इंद्राज हो जायेगी।

(v) इस प्रकार चयनित ग्राम के सभी खातों की कृषक वार जानकारी एवं समग्र id डाले जाने के पश्चात यूटिलिटी द्वारा कृषकों की सूची को समग्र family id के आधार पर परिवार वार किया जाना होगा ।

(vi) इसके पश्चात् समग्र family id के आधार पर चिन्हित किये गए परिवार को PM-KISAN योजना की परिभाषा अर्थात पति, पत्नी तथा नाबालिग बच्चों के आधार पर विभाजित किया जाना होगा। इसका अर्थ यह है कि एक समग्र family id के वयस्क सदस्यों का PM -KISAN की परिभाषा अनुसार पृथक-पृथक परिवार हो सकता है। इसका उदाहरण परिशिष्ट ३ पर सलंग्न है।

(vii) यूटिलिटी पर इसके बाद, प्राथमिक जानकारी के आधार पर किसी परिवार के कंडिका १ (v) में उल्लेखित उच्च आर्थिक श्रेणी के अंतर्गत आने की स्थिति में उस परिवार को अपात्र अंकित किया जायेगा। यूटिलिटी में ही दिनांक १/१२/२०१८ से ३१/१/२०१९ के मध्य हक़ अर्जित किये जाने की स्थिति में नामांतरण आदेश की तिथि अंकित की जानी होगी।

(viii) कंडिका ३ (vii) की कार्यवाही के पश्चात यूटिलिटी में उपलब्ध सुविधा से पटवारी द्वारा ग्राम के लिए निम्नानुसार सूचियां प्रिंट आउट के रूप में निकाली जायेगीं:-

(क) प्रस्तावित पात्र हितग्राही परिवारों की सूची

(ख) ऐसी कृषक जिनकी समग्र id उपलब्ध नहीं हो सकी

(ix) कंडिका ३ (viii) अनुसार मुद्रित सूचियों में जिन आवश्यक फील्ड (कंडिका ३ (i) में निर्धारित) की जानकारी उपलब्ध नहीं है उन्हें रिक्त दिखाया जायेगा।

(x) उपरोक्तानुसार तैयार सूचियां पटवारी द्वारा ग्राम में प्रकाशित की जायेगीं। पटवारी को कृषकों से संपर्क कर कंडिका ३ (viii) (क) की सूची में चिन्हित कृषकों की रिक्त fields की जानकारी लेनी होगी। पटवारी को कंडिका ३ (viii) (ख) की सूची में चिन्हित कृषकों को, पात्रता की स्थिति में, सम्बंधित परिवार में जोड़ा जाना होगा या नया परिवार जोड़ा जाना होगा।

(xi) उपरोक्तानुसार प्रकाशित सूचियों में चिन्हित परिवार के मुखियाओं से पटवारी द्वारा योजना अंतर्गत उच्च आर्थिक स्थिति श्रेणी में न होने का स्वसत्यापित प्रमाण-पत्र, उनके आधार नंबर का उपयोग योजना में किये जाने की सहमति तथा सूची में दर्शाये अनुसार भूमि के अलावा उसके स्वामित्व में राज्य के किसी अन्य ग्राम में अन्य कोई भूमि होने से अपात्र न होने के सम्बन्ध में स्वसत्यापित प्रमाण-पत्र परिशिष्ट- ४ पर प्रदर्शित प्रपत्र में लिया जायेगा |

(xii) उपरोक्तानुसार प्रकाशित सूचियों में नाम नहीं होने एवं योजना के प्रावधानों के तहत पात्र होने की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा परिशिष्ट-५ पर प्रदर्शित प्रपत्र अनुसार दावा पटवारी को प्रस्तुत किया जा सकेगा। इसी प्रकार अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति द्वारा परिशिष्ट-६ अनुसार आपत्ति पटवारी को प्रस्तुत की जा सकेगी। प्राप्त दावा/आपत्तियों के साथ प्रकाशित सूचियां ग्राम सभा (ग्रामीण क्षेत्रों में) में रखी जायेंगी। नगरीय क्षेत्रों में दावा/आपत्तियों का निराकरण पटवारी द्वारा किया जा सकेगा। ग्राम सभा (ग्रामीण क्षेत्रों में) द्वारा प्राप्त दावा/आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए पात्र सूची को अंतिम किया जायेगा। इस प्रकार अंतिम सूची में पात्र व्यक्ति द्वारा नाम छूटे जाने पर ग्राम सभा (ग्रामीण क्षेत्रों में) के आयोजन की दिनांक के एक माह के भीतर अपना दावा तहसीलदार को प्रस्तुत किया जा सकेगा। जिला कलेक्टर द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा कि चयनित दोनों ग्रामों में ग्राम सभा (ग्रामीण क्षेत्रों में) का आयोजन ३/३/२०१९ के पूर्व हो जिससे मार्च,२०१९ के प्रथम सप्ताह मे

प्रथम सूचियां भारत सरकार के निर्धारित पोर्टल पर अपलोड की जा सकें। प्रत्येक ग्राम सभा (ग्रामीण क्षेत्रों में) में कार्यवाहियों के पर्यवेक्षण के लिए दो-तीन शासकीय सेवकों का दल बनाया जाना होगा।

(xiii) कंडिका ३ (xii) अनुसार अंतिम सूचियों का इंद्राज यूटिलिटी में किया जाकर पटवारी द्वारा गिरदावरी पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा | इस सूची के एकल सदस्य परिवार में उस सदस्य के मृत होने की स्थिति में या कंडिका ३ (xi) अनुसार अपात्रता की श्रेणी में न होने का स्वसत्यापित प्रमाण पत्र प्राप्त न कर सकने की स्थिति में ऐसे परिवार को यूटिलिटी पर अपात्र अंकित किया जायेगा। पटवारी द्वारा इस प्रकार अंतिम की गई सूची का एक प्रिंट आउट लिया जाकर, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर, हस्ताक्षरित सूची सम्बंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार को प्रदत्त की जायेगी जिसके आधार पर तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा बी -१२१ में ग्राम का राजस्व प्रकरण दर्ज कर PM-KISAN योजना के प्रावधानों के अनुसार परिवार के भू-धारक मुखिया (परिवार में कोई भी वयस्क सदस्य न होने पर परिवार के अवयस्क सदस्य को राशि स्वीकृत की जायेगी) को राशि स्वीकृत की जायेगी।

(xiv) इस प्रकार गिरदावरी पोर्टल पर उपलब्ध सूचियाँ फण्ड ट्रांसफर आर्डर (FTO)

के रूप में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार, जिसके सम्बन्ध में पृथक से निर्देश जारी किये जा रहे हैं, भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड की जायेगीं ।

४. योजना का पर्यवेक्षण:- राज्य, जिला तथा अनुविभाग (राजस्व) स्तर पर योजना के सतत पर्यवेक्षण निम्नानुसार समितियों द्वारा किया जायेगा :-

(i) राज्य स्तरीय समिति:-

१. मुख्य सचिव - अध्यक्ष
२. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
३. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
४. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
५. प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय विभाग
६. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
७. प्रमुख सचिव, राजस्व - संयोजक
८. प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
९. आयुक्त, भू अभिलेख
१०. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केंद्र

(ii) जिला स्तरीय समिति:-

१. जिला कलेक्टर- अध्यक्ष
२. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
३. प्रभारी अधिकारी, भू -अभिलेख , कार्यालय जिला कलेक्टर- संयोजक
४. उप संचालक, कृषि
५. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
६. अधीक्षक, भू अभिलेख
७. जिला सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केंद्र

(iii) अनुविभाग (राजस्व) स्तरीय समिति

१. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) - अध्यक्ष
२. समस्त तहसीलदार/प्रभारी तहसीलदार (अनुविभाग राजस्व मुख्यालय तहसील का तहसीलदार- संयोजक)

३. सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

४. अनुविभागीय अधिकारी - कृषि

५. सहायक ई-गवर्नेंस मैनेजर

५. योजना में प्रशिक्षण :- योजना अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत स्थापित इ- दक्ष केंद्रों का उपयोग किया जाये। जिले के सभी पटवारियों को कंडिका ३ में वर्णित सॉफ्टवेयर यूटिलिटी में कार्य किये जाने हेतु ४५ मिनट का प्रशिक्षण ३०-३० पटवारियों के बैच में दिनांक २४/२/२०१९ को आयोजित किया जाये। इसी प्रकार सभी तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों के लिए भारत सरकार के पोर्टल पर हितग्राही सूची (FTO के रूप में) अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में २ घंटे का प्रशिक्षण दिनांक २८/२/२०१९ को आयोजित किया जाये।

६. मार्च २०१९ के प्रथम सप्ताह में प्रथम हितग्राही सूची अपलोड किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है की कंडिका ३ अनुसार चयनित प्रत्येक पटवारी हल्के के दो ग्रामों का कार्य २५/२/२०१९ को प्रारम्भ किया जाकर ३/३/२०१९ तक इन ग्रामों में ग्राम सभा (ग्रामीण क्षेत्रों में) का आयोजन कर प्रथम हितग्राही सूची को अंतिम किया जाये। इसी प्रकार पटवारी हल्के के शेष ग्रामों में मार्च, २०१९ के प्रथम सप्ताह के तत्काल पश्चात कंडिका ३ में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्य प्रारम्भ किया जाये।

७. योजना अंतर्गत किये जाने वाले कार्य में प्रशासनिक व्यय हेतु ₹ १८ प्रति खाते के मान से भुगतान पटवारियों के बैंक खाते में सीधे राज्य स्तर से किया जायेगा जिसके विस्तृत निर्देश आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा जारी किये जायेंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन कराते हुए निर्धारित समय-सीमा में हितग्राही परिवारों की सूची गिरदावरी पोर्टल पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

18/4/19

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ. क्रमांक एफ 03-08/2019/सात-6 भोपाल, दिनांक फरवरी, 2019

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय नि:शक्तजन कल्याण विभाग।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग।
8. आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश।

sd/-

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग